

कार्यालय आयुक्त, देवस्थान विभाग, राजस्थान- उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(1)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/20783 दिनांक :- 1-11-19

मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक,
इण्डियन रेल्वे केंद्रीय एण्ड टूरिज्म कॉर्पो.,
708, 7वां फ्लोर, क्रिस्टल मॉल, सवाई जयसिंह
हाईवे, बनीपार्क-जयपुर ।

विषय:-वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना-2019 की तृतीय ट्रेन संचालन बाबत।
संदर्भ:-आपका ई-मेल दिनांक 30-10-2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, 2019 अन्तर्गत आप द्वारा संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तावित योजना की तृतीय ट्रेन दिनांक 03-12-2019 को जोधपुर से जगन्नाथपुरी के संचालन का अनुमोदन किया जाता है। उक्त ट्रेन के संचालन के संबंधित सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग के क्षेत्र अनुसार यात्रा में शामिल होने वाले यात्रियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार रहेगी-

स्टोपेज स्टेशन	सहायक आयुक्त कार्यालय	जिला	यात्रियों की संख्या	कुल योग	संभावित समय
भगत की कोठी (जोधपुर)	जोधपुर	जोधपुर	50	219	प्रातः 9.00 बजे
		पाली	33		
		बाड़मेर	19		
		सिरोही	24		
		जैसलमेर	4		
		जालौर	8		
	बीकानेर	बीकानेर	18		
		चुरू	28		
हनुमानगढ़	हनुमानगढ़	25			
	श्रीगंगानगर	10			
जयपुर	जयपुर-I	जयपुर	140	449	दोपहर 3 से 4 बजे
		दौसा	32		
	जयपुर-II	सीकर	25		
		अलवर	22		
		झुंझनू	8		
	भरतपुर	भरतपुर	28		
		धोलपुर	7		
		सवाईमाधोपुर	24		
		करोली	24		
	अजमेर	अजमेर	41		
		टोक	27		
		नागौर	21		
भीलवाड़ा		50			
कोटा	कोटा	कोटा	25	297	सांय 7.00 बजे
		बून्दी	22		
		बारां	54		
		झालावाड़	39		
	उदयपुर	उदयपुर	67		
		चित्तौड़	37		
		प्रतापगढ़	12		
		राजसमन्द	9		
	ऋषभदेव	वासवाड़ा	16		
		डूंगरपुर	16		
Toatal			965		

अतः उक्त ट्रेन संचालन के संदर्भ में आवश्यक तैयारियां रखते हुए MOU अनुसार स्टेशनों पर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने का श्रम करावें। उक्त व्यवस्थाओं हेतु MOU अनुसार प्रतियात्री भुगतान देय होगा कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

अगर सवाई माधोपुर स्टेशन हेतु IRCTC कोई अतिरिक्त प्रभार वसूल नहीं करें तो सवाई माधोपुर स्टेशन पर भरतपुर सभाग के 83 यात्रियों की बोर्डिंग रखी जा सकती है, क्योंकि सवाई माधोपुर में गाडी इंजन तकनीकी कारण से बदलने से विना स्टॉपेज के भी ट्रेन 15-20 मिनट खडी रहती है। यहाँ पर आपको टेंट इत्यादि की व्यवस्था नहीं करनी है, क्योंकि प्लेट फार्म नं.-3 पर शैड बना हुआ है, उसके नीचे यात्री बैठ सकते है। केवल मार्किंग हेतु 4 टेबल व 15-20 कुर्सी की व्यवस्था की जानी अपेक्षित होगी। इन यात्रियों को अल्पाहार व शाम का भोजन ट्रेन के अन्दर उपलब्ध कराया जा सकता है। यदि IRCTC इस पर सहमत हो तो अवगत कराये ताकि तदनुसार यात्रियों को सूचित कर व्यवस्था की जा सके।

भवदीय,
(ओ.पी.जेन)
अतिरिक्त आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान, उदयपुर

क्रमांक:- एफ 1(1)वरि.नाग.ती.या.यो./देव/2019/20784-20834 दिनांक :- 1-11-19
प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् शासन सचिव महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान-जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान- जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय राज्य मंत्री महोदय, देवस्थान विभाग, राजस्थान- जयपुर।
4. जिला कलेक्टर..... को सूचनार्थ।
5. समस्त सहायक आयुक्त, देवस्थान विभाग को भेजकर लेख है कि-
A आप अपने क्षेत्र के यात्रियों को उक्त यात्रा हेतु सूचित करेंगे।
6. श्री गौतम बेनर्जी, ACP शासन सचिवालय, जयपुर।
7. सूचना सहायक प्रधान कार्यालय को भेज कर लेख है कि उक्तानुसार मूल एवं आरक्षित सूची तैयार करा सहायक आयुक्तों को तत्काल मेल करावें।
8. उपनिदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, उदयपुर।
9. अति. निजी सचिव, आयुक्त देवस्थान विभाग।

अतिरिक्त आयुक्त
देवस्थान विभाग
राजस्थान, उदयपुर